रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 25 मई, 1983/4 ज्येष्ठ, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 1983

क्रमांक एल0 एल0 आर0-डी (6) 18/83.–हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अध्यादेश, 1983 (1983 का अध्यादेश संख्यांक 3) जैसा राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, द्वारा "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत दिनांक 25 मई,

1983 को प्रख्यापित किया गया, को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) में अपेक्षित अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किया जाता है।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव (विधि)।

1983 का अध्यादेश संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अध्यादेश, 1983

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित।

कतिपय उच्च-पदाधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभिकथनों की जांच करने के लिए लोक आयुक्त की नियुक्ति, और उसके कृत्य और उससे संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

और अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय के अनुदेश प्राप्त कर लिए गए हैं ;

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अध्यादेश, 1983 है।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह 1983 के जून के प्रथम दिन से प्रवृत होगा।

परिभाषाएं

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कार्रवाई" से लोक आयुक्त की रिपोर्ट पर अभियोजन द्वारा या अन्यथा की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसमें कार्य करने में असफल रहना सम्मिलित है; और कार्रवाई के अर्थबोधक अन्य सभी पदों के तदनुसार अर्थ लगाए जाएंगे ;

(ख) "अभिकथन" का अभिप्राय किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में ऐसी किसी अभिपुष्टि से है कि—

(1) ऐसे लोक सेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित अभिलाभ या अनुग्रह प्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए अपने पद का जानबूझ कर दुरुपयोग किया है:

परन्तु धारा 2 के खण्ड (च) के उपखण्ड (3) और (12) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से सम्बन्धित सेवा मामले अपवर्जित होंगे ; या

(2) ऐसा लोक सेवक लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में भ्रष्ट हेतु से प्रेरित था; या

(3) ऐसा लोक सेवक भ्रष्टाचार का दोषी है; या

(ख) ऐसे लोक सेवक के कब्जे में धन सम्बन्धी ऐसे संसाधन हैं या ऐसी सम्पत्ति है जो आय के उसके ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है और ऐसे धन सम्बन्धी संसाधन या सम्पत्ति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण की गई है।

स्पष्टीकरण—इस उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है पति, पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्रियां जो उसके साथ संयुक्त रूप से निवास करती है या उस पर आश्रित है।

(ग) "लोक आयुक्त" से धारा 3 के अधीन लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "भ्रष्टाचार" से भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 9 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अधीन दण्डनीय कोई कार्य सम्मिलित है; 1860 का 45 1947 का 2

(ङ) "मंत्री" से हिमाचल प्रदेश राज्य की मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो अर्थात् मुख्य मन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री, उप-मन्त्री और इसमें मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव भी सम्मिलित होंगे;

(च) "लोक सेवक" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई है या रह चुका है:—

(1) मन्त्री;

(2) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य;

(3) हिमाचल प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बन्धित लोक सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति;

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इकावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित हो या ऐसी कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इकावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित हो; का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, या निदेशक बोर्ड का कोई सदस्य, या मुख्य कार्यपालक अधिकारी चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो; 1956 का 1

(5) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1980 के द्वारा या उसके अधीन गठित किसी नगर निगम का महापौर, उप-महापौर, सभासद या आयुक्त; 1980 का 9

(6) हिमाचल नगर पालिका अधिनियम, 1968 के द्वारा या उसके अधीन गठित या गठित समझी जाने वाली किसी नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या प्रशासक; 1968 का 19

(7) राज्य विधान मण्डल की किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या स्थापित समझे जाने वाले विश्वविद्यालय का कुलपति या प्रति-कुलपति;

(8) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 द्वारा या उसके अधीन गठित जिला परिषद् या पंचायत समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष; 1970 का 19

1969 का 3 (9) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 द्वारा या उसके अधीन विनियमित शीर्ष सोसाइटी की किसी प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष या सदस्य,

1969 का 3 (10) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 द्वारा या उसके अधीन विनियमित ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटियों के, जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचित करे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड का सदस्य,

(11) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्थापित किसी कानूनी या अकानूनी निकाय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो,

(12) इस खण्ड के उपखण्ड (4) से (11) तक निर्दिष्ट सरकारी कम्पनी, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, जिला परिषद्, पंचायत समिति, शीर्ष सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, कानूनी या अकानूनी निकाय की सेवा में या उससे वेतन पाने वाला व्यक्ति, और

(13) राज्य सरकार या उपखण्ड (12) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के नियन्त्रण के अधीन और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य पद का धारक;

(ङ) "अधिकारी" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है,—

(i) हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, सचिव, प्रधान सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो,

(ii) राज्य सरकार का विभागाध्यक्ष; और

(iii) कोई भी सरकारी सेवक, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(च) लोक सेवक के सम्बन्ध में "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,

(i) मुख्य मन्त्री या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के सम्बन्ध में	राज्यपाल स्वविवेकानुसार कार्य करते हुए;
(ii) मुख्य मन्त्री से भिन्न मन्त्रियों और अधिकारियों के सम्बन्ध में	मुख्य मन्त्री या भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा की अवधि के दौरान राज्यपाल;
(iii) किसी अन्य लोक सेवक के सम्बन्ध में	वह प्राधिकारी जो विहित किया जाए।

3. (1) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषणों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए राज्यपाल, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो लोकायुक्त के नाम से जाना जाएगा: लोकायुक्त की नियुक्ति।

परन्तु यह कि लोकायुक्त की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और विधान सभा में विरोधी दल के नेता या यदि ऐसा कोई नेता न हो तो

इस सम्बन्ध में उस सदन में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा ऐसी रीति में जो अध्यक्ष निदेशित करें, निर्वाचित व्यक्ति से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य-न्यायाधीश न रह चुका हो।

(3) लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के या राज्यपाल द्वारा उस सम्बन्ध में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप में, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

लोकायुक्त का कोई अन्य पद धारण न करना।

4. लोक आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा और विश्वास या लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा या सहकारी सोसायटी का अधिकारी नहीं होगा और किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्धित नहीं होगा या कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा, और तदनुसार अपना पदभार संभालने से पूर्व लोक आयुक्त के रूप म नियुक्त व्यक्ति,—

(क) यदि वह संसद का या किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य है, तो ऐसी सदस्यता से त्यागपत्र दे देगा; या

(ख) यदि वह विश्वास या लाभ का कोई पद धारण किए हुए है, तो उस पद से त्यागपत्र दे देगा; या

(ग) यदि वह किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित है तो उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा; या

(घ) यदि वह कोई कारोबार कर रहा है तो वह ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबन्ध से अपना सम्बन्ध (स्वामित्व से अपने को निर्निहित न करते हुए) विच्छेद कर लेगा; या

(ङ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसी वृत्ति करना स्थगित कर देगा।

लोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें।

5. (1) लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और तत्पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु—

(क) लोक आयुक्त, राज्यपाल को सम्बोधित एवं हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसके दिए जाने पर तुरन्त प्रभावशील होगा; और

(ख) लोक आयुक्त को धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति में पद से हटाया जा सकता है।

(2) लोक आयुक्त के पद में होने वाली रिक्ति यथा सम्भव शीघ्र भरी जाएगी किन्तु ऐसी रिक्ति के होने की तारीख से छः मास व्यतीत होने के पहले ही।

(3) पद पर न रहने पर लोक आयुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन किसी अन्य हैसियत में आगे और नियोजन के लिए या धारा 2 के खण्ड (च) के उप-खण्ड (4) से (12) और (13) तक में यथा निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण, सहकारी

सोसायटी, सरकारी कम्पनी, किसी विश्वविद्यालय, निगम या हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नियमित निकाय में नियोजन के लिए या उसमें किसी पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) लोक आयुक्त को वित्तीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतन संदाय किया जाएगा।

(5) लोक आयुक्त को संदेय भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं:

परन्तु यह कि लोक आयुक्त को संदेय भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें विहित करते समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या यथा स्थिति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संदेय भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ध्यान में रखी जाएंगी:

परन्तु यह और भी कि लोक आयुक्त को संदेय भत्तों और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार फेरफार नहीं किया जाएगा जो उसके लिए अलाभकारी हो।

(6) लोक आयुक्त को या उसके सम्बन्ध में संदेय वेतन और भत्ते का व्यय राज्य की समेकित निधि पर भारित होगा।

लोकायुक्त का हटाया जाना।

6. (1) लोक आयुक्त अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इस प्रकार हटाए जाने हेतु हिमाचल प्रदेश विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन के विधान सभा द्वारा उसी सत्र में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल ने आदेश पारित न कर दिया हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी समावेदन के प्रस्तुत किए जाने की और लोक आयुक्त के कदाचार या असमर्थता की जांच और साबित किए जाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में किसी न्यायाधीश को हटाए जाने के सम्बन्ध में उपबन्धित की गई है और, तदनुसार उस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक उपान्तरणों के अधीन लोक आयुक्त को हटाए जाने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे न्यायाधीश के हटाए जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

1968 का 51

वे मामले जिनके सम्बन्ध में लोक आयुक्त द्वारा जांच की जा सकेगी।

7. इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शिकायत प्राप्त होने पर लोक आयुक्त किसी लोक सेवक के विरुद्ध किए गए अभिकथनों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

वे मामले जो जांच के अधीन नहीं होंगे।

8. लोक आयुक्त ऐसे मामले में जांच नहीं करेगा:—

(क) जिसके सम्बन्ध में लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन प्ररूपों और लोक जांच का आदेश दिया जा चुका है; और

1850 का 37

(ख) जिसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट किया गया है; या

1952 का 60

(घ) जो उस लोक सेवक के, जिसके विरुद्ध अभिकथन किया गया है, कृत्यों के निर्वहन से सम्बन्धित नहीं है ; या

(ङ) ऐसे मामले की जो लोक सेवक के विरुद्ध ऐसे अभिकथन से सम्बन्धित है जिसके बारे में शिकायत उस तारीख से जिसको कि उस आचरण का, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, किया जाना अभिकथित है, पांच वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् की जाती है।

कौन व्यक्ति शिकायत कर सकता है तथा उसका प्ररूप

9. (1) कोई भी व्यक्ति इस अध्यादेश के अधीन लोक आयुक्त को शिकायत कर सकेगा।

(2) अभिकथन से अन्तर्वलित प्रत्येक परिवाद ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए और परिवादी लोक आयुक्त या लोक आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(3) इस अध्यादेश की धारा 10 या किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जो जानबूझ कर या विद्वेषता से इस अध्यादेश के अधीन कोई मिथ्या परिवाद करता है दोष सिद्धि पर कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जाएगा और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि जुर्माने की राशि में से ऐसी राशि जो वह उचित समझे उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध ऐसा परिवाद किया गया था प्रतिकर के रूप में दी जाए,

परन्तु यह कि कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान लोक आयुक्त द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद के सिवाए नहीं करेगा :

परन्तु यह और भी कि लोक आयुक्त द्वारा या उस के प्राधिकार के अधीन किये गये परिवाद पर अनन्यतः ऐसे सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इसे सुपुर्द न किए गए परिवाद पर भी, ऐसे परिवाद पर के अपराध का संज्ञान कर सकेगा : 1974 का 2

परन्तु यह और भी कि लोक आयुक्त के हस्ताक्षर और मोहर लगाकर किया गया परिवाद के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह प्रथमदृष्टया रूप से साबित हो चुका है और इस प्रयोजनार्थ लोक आयुक्त का साक्ष्य आवश्यक नहीं होगा।

10. यदि लोक आयुक्त का समाधान हो जाता है कि :—

(क) परिवाद में दिए गए तथ्य या कोई अभिकथन पूर्णतः या अंशतः सिद्ध हो गए हैं या हो गया है ; और

(ख) ऐसे परिवाद से सम्बन्धित कार्यवाही के बारे में परिवादी द्वारा उपगत व्यय और मामले की अन्य ससंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवादी प्रतिकर का पात्र है तो लोक आयुक्त ऐसी युक्ति युक्त राशि जो ऐसे प्रतिकर के रूप में परिवादी को संदत्त की जाएगी का अवधारण करेगा और राज्य सरकार परिवादी को इस प्रकार अवधारित की गई राशि का संदाय करेगी।

जांच के संबंध में प्रक्रिया।

10. (1) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक आयुक्त, अपने समक्ष प्रत्येक मामले में, जांच करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विनिश्चित करेगा और ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का समाधान हो जाता है।

(2) अध्यादेश के अधीन प्रत्येक जांच का संचालन, जब तक कि लोक आयुक्त द्वारा लेखबद्ध कारणों से अन्यथा अवधारित न किया जाए, बन्द कमरे में किया जाएगा।

साक्ष्य

11. (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक आयुक्त किसी जांच के प्रयोजनार्थ--

(क) लोक आयुक्त किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में ऐसी जांच से सुसंगत जानकारी देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है कोई ऐसी जानकारी देने या किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ;

1908 का 5

(ख) लोक आयुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों में किसी सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी ; अर्थात:-

(1) किसी व्यक्ति को समन करना, तथा उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(2) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने के लिए अपेक्षा करना ;

(3) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(4) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ; और

(5) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

परन्तु इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के फलस्वरूप समुचित सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति से किसी ऐसी सूचना देने या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या उस सीमा तक किसी दस्तावेज को पेश करने, जिसमें किसी ऐसी सूचना का प्रकटीकरण या किसी ऐसे दस्तावेज का पेश करना अन्तर्वलित हो जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय है, की अपेक्षा नहीं की जाएगी या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

1923 का 19

1960 का 45

(2) लोक आयुक्त के समक्ष की कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

1971 का 70

(3) लोक आयुक्त, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अर्थान्तर्गत न्यायालय समझा जाएगा।

लोक आयुक्त की रिपोर्ट।

12. (1) किसी परिवाद के सम्बन्ध में जांच करने के पश्चात् लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है :-

(क) कि परिवाद में किया गया कोई अभिकथन पूर्णत: या अंशत: सिद्ध नहीं हुआ है तो वह मामले को बन्द कर देगा और परिवादी, लोक सेवक और सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा ;

(ख) कि परिवाद में किए गए सभी अभिकथन या कोई भी अभिकथन पूर्णतः या अंशतः सिद्ध हो गए हैं या हो गया है तो वह अपने निष्कर्ष तथा अपनी सिफारिशों, लिखित रिपोर्ट द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा और ऐसी रिपोर्ट किए जाने के बारे में परिवादी और सम्बन्धित लोक सेवक को सूचित करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उसे अग्रेषित की गई रिपोर्ट का परीक्षण करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई की सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर लोक आयुक्त को देगा ।

(3) यदि लोक आयुक्त का उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उसकी रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई से समाधान हो जाता है तो वह मामले को बन्द कर देगा और इसकी सूचना संबन्धित परिवादी लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी को तदनुसार देगा किन्तु जहां उसका ऐसा समाधान न होता हो और यदि वह यह समझता है कि मामला इस योग्य है, तो वह राज्यपाल को उस मामले के सम्बन्ध में विशेष रिपोर्ट कर सकेगा तथा सम्बन्धित परिवादी, लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रिपोर्ट किए जाने की सूचना दे सकेगा ।

(4) लोक आयुक्त इस अध्यादेश के प्रशासन पर समेकित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रति वर्ष पेश करेगा ।

(5) उप-धारा (3) के अधीन विशेष रिपोर्ट या उप-धारा (4) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के नब्बे दिनों की समाप्ति के पश्चात् या उससे पहले, राज्यपाल, राज्य विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने पर उस रिपोर्ट को स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

लोक आयुक्त कर्मचारी वृन्द ।

13. (1) लोक आयुक्त ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को जो इस अध्यादेश के अधीन उनके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता देंगे, नियुक्त कर सकेगा या उनके नियुक्त करने का प्राधिकार लोक आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को दे सकेगा ।

(2) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के, जो नियुक्त किए जाए संवर्ग और सेवा की अन्य शर्तें और लोक आयुक्त को प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो कि लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात विहित की जांए ।

(3) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोक आयुक्त इस अध्यादेश के अधीन जांच करन के प्रयोजन के लिए :—

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उस सरकार की सहमति से कर सकेगा; या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा ।

जानकारी का गुप्त रखा जाना ।

14. (1) किसी जानकारी को, जो लोक आयुक्त या उसके कर्मचारी वृन्द के सदस्यों द्वारा इस अध्यादेश के अधीन किसी अन्वपण के अनुक्रम में या उसके प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त की गई हो, और किसी साक्ष्य को जो ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में अभिलिखित किया गया हो या संग्रहीत किया गया हो, गोपनीय माना जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय इस 1872 का 1

बात का हकदार नहीं होगा कि वह लोक आयुक्त या किसी लोक सेवक को ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में साक्ष्य देने या इस प्रकार अभिलिखित किये गए या संग्रहीत किए गए साक्ष्य को पेश करने के लिए विवश करे।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात,—

(क) जांच के प्रयोजनों के लिए या उस पर की जाने वाली किसी रिपोर्ट में या ऐसी रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई या कार्यवाहियों के लिए, या

1923 का 19 (ख) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन किसी अपराध या

1860 का 45 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के किसी अपराध के लिए किसी कार्यवाही या धारा 11 की उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए,

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो कि विहित किए जाएं, किसी जानकारी या विशिष्टियों के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी।

संरक्षण

15. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अध्यादेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, लोक आयुक्त या धारा 13 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

16. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाये गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकगी। यदि उस सत्र के, जिस में वह इस प्रकार रख गया था या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए और ऐसे विनिश्चय को राजपत्र में अधिसूचित कर दे तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथा स्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहल की गई किसी बात को विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शंकाओं का निराकरण।

17. शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अध्यादेश की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह —

1860 का 45 (क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी न्यायाधीश किसी या ऐसे अधिकारी; जो संविधान के अनुच्छेद 235 के फलस्वरूप उच्च न्यायालय के नियन्त्रण के अधीन है;

(ख) भारत में किसी सिविल या दण्डिक न्यायालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी;

(ग) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश;

(घ) संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य; और

(ङ) अध्यक्ष या सदस्य, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या उसके अनुमोदन से की गई किसी कार्यवाई में जांच करने के लिए लोक आयुक्त को प्राधिकृत करती है।

व्यावृत्ति।

18. इस अध्यादेश के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियमिति के या विधि के किसी नियम के उन उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे जिनके अधीन अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के रूप में या किसी अन्य रीति में कोई उपचार किसी कार्यवाई के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के अधीन परिवाद करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध हों, और इस अध्यादेश में की कोई बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का लाभ उठाने को सीमित नहीं करेगी या उस पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सतर्कता निदेशक से समरूप लम्बित परिवादों को प्राप्त करने की शक्ति।

19. जहां लोक आयुक्त, किसी लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की जांच करने का विनिश्चय करता है, वहां वह निदेशक सत्तर्कता से इस बात का अभिनिश्चय कर सकता है कि क्या उक्त लोक सेवक के विरुद्ध सारतः समरूप अभिकथनों वाला कोई परिवाद सतर्कता निदेशालय में लम्बित है।

(2) यदि लोक आयुक्त उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अभिलेख या परीक्षण करने पर स्वयं मामले की जांच करने का विनिश्चय करता है, तो वह निदेशक सत्तर्कता को तद्नुसार सूचना देगा और परिवाद यथास्थिति, पूर्णतः, अंशतः इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन उसे जांच के लिए अंतरित हो जाएगा।

(3) जब लोक आयुक्त, मामले की जांच स्वयं न करने का विनिश्चय करता है और परिवाद को निदेशक सत्तर्कता को वापस कर देता है तो परिवर्ती, उसे वापस किए गए परिवाद की जांच करेगा और उसका निपटान इस भांति करेगा मानो यह अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया गया है।

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (3) देखिए]

मैं . . . . , लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सम्पूर्ण रूप से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का, बिना भय अथवा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के पालन करूंगा।

द्वितीय अनुसूची

[धारा 5 (4) देखिए]

लोक आयुक्त को वास्तविक सेवा में बिताए समय के बारे में 4,000/- रुपये प्रति मास वेतन दिया जाएगा और ऐसी परिलब्धियों तथा भत्ते दिए जाएंगे जो उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को, यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है या उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को, यदि वह उच्च-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, मिलते हैं:

परन्तु यह है कि यदि लोक आयुक्त को अपनी नियुक्ति के समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोई पेंशन या भारत सरकार या उसकी किसी पूर्ववर्ती सरकार के अधीन अथवा राज्य सरकार या उसकी किसी पूर्ववर्ती सरकार के अधीन पहले की पूर्व सेवा के बारे में (असाधारणता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन मिलती हो, तो लोक आयुक्त की सेवा के रूप में उसके वेतन में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जाएंगी :—

(क) उस पेंशन की राशि; और
(ख) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त किया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि; और
(ग) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया हो तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन।

होकिशे सेमा,
राज्यपाल।

शिमला:
25 मई, 1983.

बी० पी० भटनागर,
सचिव (विधि)।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Lokayukta Adhyadesh, 1983 (3 of 1983) as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Ordinance No. 3 of 1983.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA ORDINANCE, 1983

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Thirty-fourth Year of the Republic of India.

An Ordinance to make provisions for the appointment and functions of Lokayukta for the inquiry into the allegations against certain high dignitaries and others and for matters connected therewith.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas instructions of the President of India to promulgate the Ordinance have been obtained;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Lokayukta Ordinance, 1983.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force with effect from the 1st day of June, 1983.

Definitions

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "action" means action by way of prosecution or otherwise taken on the report of the Lokayukta and includes failure to act, and all other expressions connecting action shall be construed accordingly;

(b) "allegation" in relation to a public servant means any affirmation that such public servant,—

(i) has knowingly and intentionally abused his position as such to obtain any undue gain or favour to himself or to any other person or to cause undue harm to any other person :

Provided that the service matters relating to persons referred to in sub-clauses (i) and (ii) of clause (f) of section 2 shall be excluded therefrom; or

(ii) was actuated in the discharge of his functions as such public servant by corrupt motives; or

(iii) is guilty of corruption; or

(iv) is in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known source of income and such pecuniary resources or property is held by the public servant personally or by any member of his family or by some other person on his behalf.

Explanation.—For the purpose of this sub-clause 'family' means husband, wife, sons and unmarried daughters living jointly with him or dependent on him;

(*c*) "Lokayukta" means a person appointed as a Lokayukta under section 3;

45 of 1860
2 of 1947

(*d*) "Corruption" includes any act punishable under Chapter IX of the Indian Penal Code or the Prevention of Corruption Act, 1947;

(*e*) "Minister" means a member of the Council of Ministers, by whatever name called, for the State of Himachal Pradesh, that is to say, Chief Minister, Minister, Minister of State, Deputy Minister and shall also include the Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretary ;

(*f*) "Public Servant" means a person, who is or has been—

(1) a Minister,

(2) a Member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh,

(3) appointed to public service or post in connection with the affairs of the State of Himachal Pradesh,

(4) a Chairman, Vice-Chairman, Managing Director or a member of the Board of Directors or Chief Executive Officer, by whatever name called, of a Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty-one per cent, of the paid up share capital is held by the State Government, or any company which is a subsidiary of a company in which not less than fifty-one per cent, of the paid up share capital is held by the State Government,

1 of 1956

(5) a Mayor, Deputy Mayor, Councillor or Commissioner of a Municipal Corporation constituted by or under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1980,

9 of 1980

(6) a President, Vice-President, a member or Administrator of a Municipal Committee or Notified Area Committee constituted or deemed to be constituted by or under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968,

19 of 1968

(7) a Vice-Chancellor or Pre Vice-Chancellor of a University established or deemed to have been established by or under any law of the State Legislature,

(8) a Chairman or Vice-Chairman of the Zila Parishad or Panchayat Samiti constituted by or under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968,

19 of 1970

(9) a President or Vice-President or member of any Managing Committee of an apex society incorporated by or under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968,

3 of 1969

(10) a President, Vice-President, Managing Director or a member of the Board of Directors of such other Co-operative Societies incorporated by or under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, as may be notified by the State Government from time to time,

3 of 1969

(11) a Chairman, Vice-Chairman, Managing Director or the Chief Executive Officer, by whatever name called, of any statutory or non-statutory body incorporated or set up by the State Government,

(12) in the service or pay of a Government Company, Local Body, University, Zila Parishad, Panchayat Samiti, Apex Society, Co-operative Society, statutory or non-statutory body referred to in sub-clauses (4) to (11) of this clause, and

(13) holding any other post or office under the control of the State Government or an authority referred to in sub-clause (12) and notified by the State Government in the Official Gazette from time to time;

(g) "officer" means and includes,

(i) the Chief Secretary, Secretary, Principal Secretary, Additional Secretary, Special Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary to the Government of Himachal Pradesh, by whatever name he may be called;

(ii) the Head of the Department of the State Government; and

(iii) any toher Government servant to be notified by the State Government,

(h) "Competent Authority" in relation to a public servant, means,

(i)	in the case of Chief Minister, or a member of the State Legislature,	the Governor acting in his discretion,
(ii)	in the case of Minister, other than the Chief Minister, and the officers,	the Chief Minister or during the period of proclamation issued under Article 356 of the Constitution of India, the Governor.
(iii)	in the case of any other public servant,	such authority as may be prescribed.

[illegible]

3. (1) For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Ordinance, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokayukta:

Provided that the Lokayukta shall be appointed after consultation with the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh and the Leader of the Opposition in the Legislative Assembly, or if there be no such leader, a person selected in this behalf by the Members of the Opposition in that House in such manner as the Speaker may direct.

(2) A person shall not be qualified for appointment as Lokayukta, unless he has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court in India.

(3) Every person appointed as Lokayukta shall, before entering upon his office, make and subscribe, before the Governor, or same person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the form set out for the purpose in the First Schedule.

[illegible]

4. The Lokayukta shall not be a member of Parliament or member of the Legislature of any State and shall not hold any other office of trust or profit or be an officer of a co-operative society and shall not be connected with any political party or carry on any business or practise any profession, and accordingly before he enters upon his office, a person appointed as the Lokayukta shall,—

(a) if he is a member of Parliament or of the Legislature of any State, resign such membership; or

(b) if he holds any office of trust or profit, resign from such office; or

(c) if he is connected with any political party sever his connection with it; or

(d) if he is carrying on any business, never his connection (short of divesting himself of ownership) with the conduct and management of such business; or

(e) if he is practising any profession, suspend practice of such profession.

Term of office and other conditions of service of Lokayukta.

5. (1) Every person appointed as Lokayukta shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for re-appointment thereafter:

Provided that,—

(a) Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office and such resignation shall be effective as soon as it is tendered; and

(b) Lokayukta may be removed from the office in the manner specified in section 6.

(2) A vacancy occurring in the office of the Lokayukta shall be filled in as soon as possible, but not later than six months from the date of occurrence of such vacancy.

(3) On ceasing to hold office, Lokayukta shall be ineligible for further employment in any other capacity under the Government of Himachal Pradesh for any employment under, or office in, any such Local Authority, Co-operative Society, Government company, University, Corporation, or a Corporate Body under the administrative contral of the Government of Himachal Pradesh as is referred to in sub-clauses (4) to (11) of clause (f) of section 2.

(4) There shall be paid to the Lokayukta such salary as is specified in the Second Schedule.

(5) The allowances payable to, and other conditions of service of Lokayukta shall be such as may be prescribed:

Provided that in prescribing the allowances payable to, and other conditions of service of, Lokayukta, regard shall be had to the allowances payable to, and other conditions of service of a serving Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court, as the case may be:

Provided further that the allowances payable to, and other conditions of service of, Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(6) The salaries and allowances payable to, or in respect of, Lokayukta shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of the State.

Removal of Lokayukta.

6. (1) The Lokayukta shall not be removed from his office except by an order of the Governor passed after an address by the Himachal Pradesh Legislative Assembly supported by a majority of the total membership of the Legislative Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members thereof, present and voting has been presented to the

Governor in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.

(2) The procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of the Lokayukta under sub-section (1) shall be as provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968, in relation to the removal of a Judge and, accordingly, the provisions of that Act shall, subject to necessary modifications, apply in relation to the removal of the Lokayukta as they apply in relation to the removal of a Judge. 51 of 1968

Matters which may be inquired into by the Lokayukta.

7. Subject to the provisions of this Ordinance on receiving a complaint the Lokayukta may proceed to enquire into the allegations made against a public servant.

Matter not subject to inquiry.

8. The Lokayukta shall not inquire into any matter,—

(*a*) in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850; or 37 of 1850

(*b*) which has been referred for inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952; or 60 of 1952

(*c*) which is not connected with the discharge of functions as public servant of the person against whom allegation is made; or

(*d*) relating to an allegation against a public servant, if the complaint is made after expiration of a period of five years from the date on which the conduct complained against is alleged to have been committed.

Provisions relating to complaints.

9. (1) Any person may make a complaint under this Ordinance to the Lokayukta.

(2) Every complaint involving an allegation shall be made in such form as may be prescribed. The complainant shall swear an affidavit in such form as may be prescribed before the Lokayukta or any officer authorised by the Lokayukta in this behalf.

(3) Notwithstanding anything contained in section 10 or any other provision of the Ordinance, every person who wilfully or maliciously makes any false complaint under this Ordinance shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both and the court may order that out of the amount of fine, such sum, as it may deem fit, be paid by way of compensation to the person against whom such complaint was made:

Provided that no court shall take cognizance of an offence punishable under this section except on a complaint made by or under the authority of the Lokayukta:

Provided further that the complaints made by or under the authority of the Lokayukta shall be exclusively tried by a Court of Sessions, which may take cognizance of the offence on such complaints without complaints being committed to it, anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 notwithstanding : 2 of 1974

Provided further that the complaint made under the signature and seal of Lokayukta shall be deemed as formally proved and the evidence of Lokayukta shall not be necessary for the purpose.

(4) If the Lokayukta is satisfied,—

(*a*) that all or any of the allegations made in the complaint have or has been substantiated either wholly or partly; and

(*b*) that having regard to the expenses incurred by the complainant in relation to the proceedings in respect of such complaints and all other relevant circumstances of the case, the complainant deserves to be compensated;

The Lokayukta shall determine a reasonable amount which shall be paid to the complainant by way of such compensation and the State Government shall pay the amount so determined to the complainant.

Procedure in respect of inquiry.

10. (1) Subject to the provisions contained in sub-section (2), the Lokayukta shall, in each case before it, decide the procedure to be followed for making an inquiry and in so doing ensure that the principles of natural justice are satisfied.

(2) Every inquiry under the Ordinance shall, unless the Lokayukta for reasons to be recorded in writing determines otherwise, be conducted in camera.

Evidence.

11. (1) Subject to the provisions of this section, for the purpose of any inquiry, the Lokayukta,—

(*a*) may require any public servant or any other person, who, in his opinion, is able to furnish information or produce documents relevant to such inquiry, to furnish any such information or produce any such document;

(*b*) shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely:— 5 of 1908

(*i*) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath,

(*ii*) requiring the discovery and production of any document,

(*iii*) receiving evidence on affidavits,

(*iv*) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office, and

(*v*) issuing commissions for the examination of witnesses or documents :

Provided that no person, without the prior permission of the appropriate Government shall be required or authorised by virtue of the provisions contained in this Ordinance to furnish any such information or answer any such question or produce so much of any document as might involve the disclosure of any information or production of any document which is punishable under the provisions of the Official Secrets Act, 1923. 19 of 1923

(2) Any proceeding before Lokayukta shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code, 1860. 45 of 1860

(3) The Lokayukta shall be deemed to be court within the meaning of Contempts of Courts Act, 1971. 70 of 1971

Report of Lokayukta.

12. (1) If, after inquiry in respect of a complaint, the Lokayukta is satisfied,—

(*a*) that no allegation made in the complaint has been substantiated either wholly or partly, he shall close the case and intimate the complainant, the public servant and the competent authority concerned accordingly;

(*b*) that all or any of the allegations made in the complaint have or has been substantiated either wholly or partly, he shall, by report in writing, communicate his findings and recommendations to the competent authority and intimate the complainant and the public servant concerned about his having made the report.

(2) The competent authority shall examine the report forwarded to it under clause (*b*) of sub-section (1) and communicate to the Lokayukta, within three months of the date of receipt of the report, the action taken on the basis of the report.

(3) If the Lokayukta is satisfied with the action taken, on the basis of his report under clause (*b*) of sub-section (1), he shall close the case and intimate the complainant, the public servant and the competent authority concerned accordingly, but where he is not so satisfied and if he considers that the case so deserves, he may make a special report upon the case to the Governor and intimate the complainant, the public servant and the competent authority concerned about his having made such report.

(4) The Lokayukta shall present annually to the Governor a consolidated report on the administration of this Ordinance.

(5) At the commencement of the session of the State Legislative Assembly after the expiry of ninety days from the presentation of the special report under sub-section (3) or the annual report under sub-section (4) or earlier thereto, the Governor shall cause the same together with an explanatory memorandum to be laid before the State Legislative Assembly.

Staff of Lokayukta.

13. (1) The Lokayukta may appoint, or authorise any officer subordinate to the Lokayukta to appoint, officers and other employees to assist the Lokayukta in the discharge of his functions under this Ordinance.

(2) The categories of Officers and employees who may be appointed and other conditions of service and the administrative powers of the Lokayukta shall be such as may be prescribed after consultation with the Lokayukta.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Lokayukta may for the purpose of conducting enquiries under this Ordinance utilize the services of,—

(*i*) any officer or investigation agency of the State or Central Government with the concurrence of that Government; or

(*ii*) any other person or agency.

Secrecy of information.

14. (1) Any information, obtained by the Lokayukta or members of his staff in the course of,or for the purposes of, any investigation under this Ordinance, and any evidence recorded or collected in connection with such information, shall be treated as confidential and. notwithstanding anything contained in the Evidence Act, 1872, no Court shall be entitled to compel the Lokayukta or any public servant to give evidence relating to such information or produce the evidence so recorded or collected.

1 of 1872

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any information or particulars,—

(*a*) for purposes of the inquiry or any report to be made thereon or for any action or proceedings to be taken on such report, or

(*b*) for purposes of any proceeding for any offence under the Official Secrets Act, 1923, or any offence of giving or fabricating false evidence under the Indian Penal Code or under sub-sections (1) and (2) of section 11; or

19 of 1923
45 of 1860

(*c*) for such other purposes as may be prescribed.

Protection.

15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Lokayukta or against any officer, employee, agency or person referred to in section 13 in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

Power to make rules.

16. (1) The State Government may, by notification, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Ordinance.

(2) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid, or the session immediately following, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, and notify such decision in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such notification, have effect only is such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Removal of doubts.

17. For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in this Ordinance shall be construed as authorising the Lokayukta to investigate any action which is taken by or with the approval of:—

(*a*) the Chief Justice or any Judge of the High Court or an officer the control whereof vests in the High Court by virtue of Article 235 of the Constitution;

(*b*) any officer or servant of any civil or criminal court in India;

(*c*) the Accountant General for Himachal Pradesh;

(*d*) the Chief Election Commissioner, the Election Commissioners and the Regional Commissioners referred to in Article 324 of the Constitution and the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh State; and

(*e*) the Chairman or a member of the Himachal Pradesh Public Service Commission.

Savings

18. The provisions of this Ordinance shall be in addition to the provisions of any other enactment or any rule of law under which any remedy by way of appeal, revision, review or in any other manner is available to a person making a complaint under this Ordinance in respect of any action, and nothing in this Ordinance shall limit or affect the right of such person to avail of such remedy.

Power to recall complaints pending before Director of Vigilance.

19. (1) Where the Lokayukta decides to inquire into a complaint against a public servant, he may ascertain from the Director of Vigilance whether any complaint containing substantially similar allegations against the said public servant is pending in Directorate of Vigilance.

(2) If the Lokayukta, on examination of the record referred to in sub-section (1), decides to inquire into the matter himself, he shall inform the Director of Vigilance accordingly and the complaint, wholly or partly, as the case may be, shall stand transferred to him for inquiry under the provisions of this Ordinance.

(3) Whenever the Lokayukta decides not to inquire into the matter himself and returns the complaint to the Director of Vigilance, the latter shall investigate the complaint returned to him and dispose of the same as if this Ordiance has not been promulgated.

THE FIRST SCHEDULE

[*See Section* 3 (3)]

I..........., having been appointed Lokayukta of Himachal Pradesh do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will.

THE SECOND SCHEDULE

[*See Section* 5 (4)]

There shall be paid to the Lokayukta in respect of time spent on actual service, salary at the rate of Rs. 4,000/- per mensem, plus such perquisites and allowances as are available to a serving Judge of the Supreme Court in case he has been a Judge of the Supreme Court or to a serving Chief Justice of a High Court in case he has been a Chief Justice of a High Court:

Provided that, if the Lokayukta at the time of his appointment is in receipt of a pension as a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court or of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Government or under the Government of a State or any of its predecessor Governments, his salary in respect of service as Lokayukta, shall be reduced:—

(*a*) by the amount of that pension; and
(*b*) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service

the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension; and

(c) if he had, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.

HOKISHE SEMA,
Governor.

SHIMLA:
The 25th May, 1983.

V. P. BHATNAGAR,
Secretary (Law).

निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।